

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मार्च 2016— चैत्र 3, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कॉलोनी, शान्ति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2016

विनियम

क्रमांक-68/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016.— विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 61, 86 सहपठित 181 में निहित शक्तियों और इस संबंध में अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2012 (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम, 2012 या मूल विनियम), पवन आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों, छोटे जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों, बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों और सौर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत विक्रय के निमित्त टैरिफ की शर्तें और दशाएं विनिर्दिष्ट करने हेतु बनाए थे। ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनकी अधिसूचना दिनांक अर्थात् 27 जुलाई, 2012 से 5 वर्ष की नियंत्रण अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रभावशील हुए।

तत्पश्चात् आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 अधिसूचित कर दिए।

मूल विनियमों और इसके परिवर्ती संशोधनों के अनुसरण में आयोग एतद् द्वारा मूल विनियमों को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -

- 1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 कहलाएंगे;

1.2 ये विनियम, 01 अप्रैल, 2016 से लागू होंगे और वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक प्रभावशील रहेंगे।

2. विनियम 2.1 के उप विनियम (ड) के स्थान पर नवीन उप विनियम का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के स्थान पर विनियम 2.1 के उप विनियम (ड) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

(ड) “फर्म विद्युत” से अभिप्रेत है, परियोजना की वाणिज्यिक संचालन की तिथि से और उसके उपरांत प्रदाय की गई विद्युत।

3. विनियम 2.1 के उप विनियम (भ) के स्थान पर नवीन उप विनियम का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के विनियम 2.1 के उप विनियम (भ) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

(भ) “नॉन फर्म विद्युत” से अभिप्रेत है, नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित विद्युत, जिसका घंटे दर घंटे परिवर्तन, धूप, बादल, पवन, आदि प्राकृतिक लक्षणों पर आश्रित है, जिसका शुद्ध पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता;

4. विनियम 3.2 का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के विनियम 3.2 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

3.2 ऐसी नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं के मामले में जिनका वितरण अनुज्ञप्तिधारी से 20 वर्ष या अधिक अवधि हेतु दीर्घावधि विद्युत अनुबंध है, जिन्होंने 01 अप्रैल 2012 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन हेतु तिथि अर्जित कर ली है उन पर प्रयोज्य टैरिफ (निश्चित प्रभार), उस टैरिफ अवधि की समयावधि के दौरान जिसे याचिका क्रमांक 22, सन् 2011 (T), में आदेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 में नियत किया गया है, जहां विद्युत प्रभारों को इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अभिनिश्चित किया जाएगा, याचिका क्रमांक 22, सन् 2011 (T), में आदेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 और उसमें आयोग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधनों से भासित होगा। तथापि, ऐसी परियोजनाओं के लिए याचिका क्रमांक 22, सन् 2011 (T), में प्रदत्त आदेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 की वैधता पूरी हो जाने पर नवीन टैरिफ का निर्धारण, उत्पादनकर्ता अथवा अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर इन विनियमों में सामान्य/परियोजना विशेष के आधार पर विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप किया जाएगा। आगे ऐसे प्रकरणों में टैरिफ आदेश प्रचलन के उपरांत टैरिफ के निर्धारण हेतु तत्समय प्रचलित आदेशों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार पूंजी लागत अनुमत होगी और अन्य वित्तीय मानदण्ड इन विनियमों से शासित होंगे। मौजूदा परियोजनाओं की अन्य सभी दशाएं और शर्तें इन विनियमों से शासित होंगी।

5. विनियम 7.1 (i) का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के 7.1(i) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

(i) नगरपालिकीय अपशिष्ट आधारित परियोजनाएं, जब तक इस संबंध में आयोग द्वारा विशिष्ट विनियम अधिसूचित नहीं कर दिये जाते।

6. विनियम 11 का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के 11 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

11.1 बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र को छोड़कर समस्त नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों को ‘अवश्य चलने वाले’ (Must-run) विद्युत संयंत्र के रूप में माना जाएगा और उन पर अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग) और गुणताक्रम प्रेषण सिद्धांत (Merit order dispatch principle) लागू नहीं किए जाएंगे। बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र पर मासिक अनुसूचीकरण लागू किया जाएगा।

परंतु नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों के लिए राज्यांतरिक ABT/विचलन निर्धारण प्रणाली/UI विनियम के अधिसूचना के उपरांत नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों का अनुसूचीकरण एवं विचलन प्रभार राज्यांतरिक ABT/विचलन निर्धारण प्रणाली/UI विनियमन से भासित होंगे।

11.2 बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र अगले महीने में अपने द्वारा किए जाने वाले विद्युत प्रदाय की एक मासिक अनुसूची, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को माह की 23वीं दिनांक तक दे देंगे। यदि प्रचलित माह की 23वीं दिनांक तक बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्रों द्वारा अगले माह की मासिक अनुसूची नहीं प्रस्तुत की जाती तो समस्त गणना के उद्देश्यों के लिए प्रचलित माह की अनुसूची को विचार में लिया

जाएगा। वितरण अनुज्ञप्ति द्वारा स्वीकृत मासिक अनुसूची को एक आवेदन के माध्यम से बायोमास संयंत्रों के द्वारा नोडल एजेंसी को दिए गए सूचना के आधार पर संशोधन किया जा सकेगा।

परंतु यह, कि अनुसूची में ऐसा संशोधन कम से कम दो दिवस की अवधि समाप्ति के पहले प्रभावी नहीं होगा।

परंतु यह भी कि अनुसूची में संशोधन की सूचना वितरण अनुज्ञप्तिधारी को दिए जाने वाले दिन और जिस दिन से संशोधन को लागू किया जाना है, उक्त दो दिवस की अवधि गणना से परे होगी।

परंतु यह भी कि मासिक अनुसूची में केवल दो संशोधन की ही अनुज्ञप्ति दी जाएगी, जो कि क्रमिक महिनों (Successive- Months) के लिए लागू नहीं होगा।

- 11.3 बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र से वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की गई विद्युत का भार कारक अनुसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित किया जाएगा। भार कारक (Load Factor) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

$$\text{भार कारक} = \frac{\text{माह के दौरान प्रदाय की गई यूनिटों की वास्तविक संख्या (MU)}}{\text{अनुसूचित मात्रा (MU)}}$$

- 11.4 बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए निर्धारित दरें (निश्चित प्रभार+ऊर्जा प्रभार), 80% और अधिक भार कारक हेतु आधार दर होगी। 80% भार कारक से नीचे विद्युत प्रदाय हेतु प्रभावी दर की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

$$\text{प्रभावी दर (रु.)} = \frac{(\text{निश्चित प्रभार} + \text{ऊर्जा प्रभार}) \times \text{प्रतिशत भार कारक}}{80\%}$$

तथापि, न्यूनतम प्रभावी प्रभार आयोग द्वारा यथा निर्धारित ऊर्जा प्रभार होगा।

- 11.5 मासिक अनुसूचित ऊर्जा के 110% से ऊपर, आधिक्य अन्तःक्षेपण के लिए दरें, ऊर्जा प्रभार रहेगी।

- 11.6 स्टार्टअप पॉवर के लिए मांग प्रभार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए आयोग द्वारा जारी समुचित टैरिफ आदेश के माध्यम से शासित होंगे।

- 11.7 **ऊर्जा संजालीकरण (Netting of Energy) :-** ऐसे नवीकरणीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों हेतु, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय कर रहे हैं, ऊर्जा संजालीकरण की अनुमति, ग्रिड से स्टार्टअप ऊर्जा के आयात के विरुद्ध, मासिक आधार पर दी जाएगी।

- 11.8 **विद्युत बैंकिंग:** नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु विद्युत की बैंकिंग, ऐसे संयंत्रों के लिए तीन माह हेतु अनुमत हो सकेगी जिन्होंने वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संपूर्ण उत्पादित विद्युत के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय हेतु अनुबंध नहीं किया है;

परन्तु नवीकरणीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा उस बिन्दु पर ABT मीटर प्रतिस्थापित किए जाएंगे जहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्राप्त कर रहा है;

परन्तु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत विमुक्त किये जाते समय प्रतिमाह बैंकिंग प्रभार के रूप में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत का 2% समायोजित किया जाएगा;

परन्तु यह और भी कि व्यस्ततम समय (Peak hours) के दौरान जब उत्पादनकर्ता द्वारा विद्युत की निकासी की जाती है, जो टैरिफ आदेश में यथा परिभाषित व्यस्ततम समय से इतर जमा की जाती है, तो उसे अपनी विद्युत की लागत और उस वित्तीय वर्ष में वार्षिक औसत विद्युत क्रय लागत के मध्य अंतर का भुगतान, अनुज्ञप्तिधारी को क्षतिपूर्ति के तौर पर करना चाहिए।

7. विनियम 44 का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के विनियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

44 कैलोरी मूल्य

- 44.1 MNRE द्वारा विनिर्दिष्ट ईंधन मिश्र अनुपात 85:15 (बायोमास:कोयला) वाली बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन से बायोमास ईंधन का औसत कैलोरी मूल्य, 3300

किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम और 75:25 (बायोमास:कोयला) वाली बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए 3338 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होगा।

8. विनियम 45.1 का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के विनियम 45.1 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

45.1 बायोमास ईंधन का मूल्य नियंत्रण अवधि (अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2012-13) के प्रथम वर्ष के दौरान रु. 2476/- प्रति मीट्रिक टन होगा और तदुपरांत विनियम 45.2 और 45.3 के अधीन यथा निर्दिष्ट सूचकांक प्रणाली से संबद्ध रहेगा।

तथापि, नियंत्रण अवधि के पांचवें वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17) हेतु बायोमास ईंधन का मूल्य स्वतंत्र अध्ययन के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। यह स्वतंत्र अध्ययन एक 6 सदस्यीय राज्य स्तर की समिति द्वारा कराया जाएगा, जिसमें आयोग द्वारा नाम निर्देशित निम्नांकित सदस्य होंगे:-

- (क) राज्य सरकार का प्रतिनिधि-अध्यक्ष
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का प्रतिनिधि-सदस्य
- (ग) राज्य संपर्क अभिकरण (केडा) का प्रतिनिधि-सदस्य संयोजक
- (घ) राज्य वितरण कम्पनी (छ.रा.वि.वितरण कं.) का प्रतिनिधि-सदस्य
- (ङ) बायोमास विद्युत उत्पादक एसोसिएशन का प्रतिनिधि-सदस्य
- (च) उपभोक्ता प्रतिनिधि-सदस्य

अध्ययन के उपरांत समिति बायोमास ईंधन का मूल्य दर्शाएगी और दो माह के भीतर प्रयोज्य बायोमास ईंधन मूल्य प्रस्तुत कर देगी।

9. विनियम 45.4 का विलोपन

मूल विनियमों के विनियम 45.4 को विलोपित किया जाए।

आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(पी. एन. सिंह)
सचिव.